भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 221
18.07.2022 को उत्तर के लिए

हरित जलवायु कोष

221. श्री चंद्र शेखर साहू :
डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे :
श्री गिरीश भालचन्द्र बापट :
श्री राहुल रमेश शेवाले :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के दिनों में भारत की जलवायु वित्त पोषण आवश्यकताओं को समझने और इसे जुटाने संबंधी एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें हरित जलवायु कोष पर ध्यान दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) हरित जलवायु कोष को मजबूत करने के लिए उक्त कार्यशाला के दौरान आए मुद्दों और सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सामुदायिक स्तर की विकास परियोजनाओं में देश में ग्रीन क्रेडिट उत्पन्न करने की क्षमता है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में हरित जलवायु कोष के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सामुदायिक स्तर की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (ग) भारत सरकार ने चालू हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) तैयारी कार्यक्रम के तहत दिनांक 24 जून, 2022 को नई दिल्ली में ''हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) पर ध्यान केन्द्रित करते हुए भारत की जलवायु के वित्तपोषण और इसको जुटाने की आवश्यकताओं को समझने'' के संबंध में एक हितधारक परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में, पेरिस समझौते के तहत भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों के साथ संरेखित, न्यून ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और जलवायु अनुकूल विकास पथ में परिवर्तन को सुविधा प्रदान करने के लिए बड़े पैमाने पर धन जुटाने के तरीकों पर ध्यान दिलाया गया। कार्यशाला में यह सुझाव दिया गया कि संधारणीयता का पथ, वित्तपोषण एवं मानवीय, प्रौद्योगिकी और संस्थागत क्षमताओं की जरूरत की महत्वपूर्ण रूप से मांग करता है।

(घ) और (ङ) पेरिस समझौते में पक्षकारों के निर्णयों के अनुसार, पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत उत्सर्जन में कमी के लिए योगदान देने वाले व्यापार के लिए एक वैश्विक संरचना को विकसित करने का कार्य यूएनएफसीसी सचिवालय को सौंपा गया है। जीसीएफ का उद्देश्य विकासशील देशों को अनुदान, ऋण, गारंटी, साम्या इत्यादि के रूप में सहायता देकर न्यून उत्सर्जन और जलवायु अनुकूल विकास की दिशा में परिवर्तन का समर्थन करना है। भारत सरकार जीसीएफ के साथ सक्रिय रूप से जुड़ी हुई है। अभी तक, जल, स्वच्छ ऊर्जा, आजीविका और परिवहन सहित विविध क्षेत्रों में 514.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल आवंटन के साथ 5 परियोजनाओं को अनुमोदन मिल चुका है। ''जीसीएफ के तहत दो परियोजनाएं, अर्थात्, (i) ओडिशा के संवेदनशील जनजातीय क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं अनुकूलता बढ़ाने के लिए भू-जल पुनर्भरण और सौर सूक्ष्म सिंचाई और (ii) भारत के तटीय समुदायों की जलवायु अनुकूलता बढ़ाना, का क्रियान्वयन आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा राज्यों के समुदायों की सक्रिय भागीदारी के साथ किया जा रहा है।

*****